सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

(1)

प्रेषक,

अपर परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।
(कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर)

पत्रांक–के0जी0बी0वी0/ 3–2/ 547 /2013–14 दिनांक 8 मई, 2013

विषय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दिनांक 21 जून, 2013 से 30 जून, 2013 के मध्य आवासीय ग्रीष्म शिविर आयोजन के संबंध में।

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना संचालित है, जिसमें अपवंचित समूह की 11 से 14 वय वर्ग की कभी भी नामांकित न हुई अथवा ड्रॉपआउट बालिकाओं के लिए आवासीय पठन–पाठन की व्यवस्था की जाती है।

उक्त योजना के अन्तर्गत बालिकाओं के नामांकन की समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन नहीं हो रहा है । साथ ही साथ यह भी प्रकाश में आया है कि कतिपय अपवंचित समूह की बालिकाओं की वांछित भागीदारी भी नहीं हो रही है।

उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा आगामी शैक्षिक सत्र 2013–14 में सभी कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में निर्धारित संख्या के अनुसार शत–प्रतिशत नामांकन कराने तथा अपवंचित समूहों की बालिकाओं की तार्किक भागीदारी सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया है। इस ग्रीष्म शिविर की संकल्पना एवं कार्ययोजना निम्नवत् हैः–

उद्देश्य

- प्रत्येक कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराना।
- नामांकन में अपवंचित समूहों की बालिकाओं की तार्किक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- अपवंचित समूह की 11 से 14 वय वर्ग की कभी भी नामांकित न हुई अथवा ड्राप आउट बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाना तथा उन्हें विद्यालयों में पढ़ने हेतु प्रेरित करना।
- अपवंचित वर्ग के समुदाय को बालिका–शिक्षा के महत्व पर जागरूक करना।
- इसके लिए प्रत्येक कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में दिनांक 21 जून से 30 जून, 2013 के मध्य ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया जायेगा। यह ग्रीष्म शिविर 2 दिन की अवधि का होगा। ग्रीष्म शिविर के दौरान लक्ष्यगत संख्या तथा समूह की बालिकाओं का चयन करके कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में नामांकन किया जाएगा।

लक्ष्य समूह	–	कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में आगामी शैक्षिक सत्र हेतु कक्षावार रिक्त संख्यानुसार 11 से 14 वय वर्ग की कभी भी नामांकित न हुई अथवा ड्राप आउट बालिकाएं।
शिविर की अवधि	–	02 दिन।
शिविर में बालिकाओं की संख्या	–	100 बालिकाओं की छात्र संख्या वाले कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में अधिकतम 100 बालिकाओं तथा 50 बालिकाओं की छात्र संख्या वाले कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में अधिकतम 50 बालिकाओं को ग्रीष्म शिविर में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
संचालन का स्थल	–	कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय परिसर ।
शिविर संचालन का समय	–	24 जून से 27 जून के मध्य 2 दिन।

ग्रीष्म शिविर के आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा एवं रणनीति निर्माण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10 जून, 2013 तक जिला परियोजना समिति की बैठक सम्पन्न करायी जायेगी। तदोपरान्त दिनांक 13 जून, 2013 तक समस्त जिला समन्वयकों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र कर्मियों एवं प्रत्येक कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के वार्डेन को जिला परियोजना समिति के निर्णय से लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।

जिला परियोजना समिति के निर्णय के अनुसार ग्रीष्म शिविर के आयोजन के लिए दिनांक 21 जून, 2013 को प्रत्येक कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित कर्मियों की बैठक आयोजित की जायेगी –

- कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की वार्डेन एवं अन्य शैक्षिक कर्मी
- सह समन्वयक–ब्लाक संसाधन केन्द्र
- समन्वयक–न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र
- सदस्य–विद्यालय प्रबंध समिति
- प्रतिनिधि–एन0जी0ओ0
- कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय जिस वार्ड अथवा ग्राम में संचालित हो उसके सभासद/ग्राम प्रधान

उक्त बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा कर इस प्रकार कार्ययोजना बनायी जायेगी, जिसमें सभी के कार्य, दायित्व एवं समय–सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित हों:–

- खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय/ब्लाक संसाधन केन्द्र में उपलब्ध 11 से 14 आयु वर्ग की कभी भी नामांकित न होने वाली अथवा ड्राप आउट बालिकाओं की सूची के आधार पर कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के शैक्षिक कर्मियों द्वारा बालिकाओं का चिह्नांकन।
- कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के शैक्षिक कर्मियों द्वारा अभिभावकों से सम्पर्क कर ग्रीष्म शिविर के बारे में चर्चा एवं बालिकाओं को ग्रीष्म शिविर में भेजने हेतु सहमति पत्र की प्राप्ति करना।
- खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा आवासीय ग्रीष्म शिविर में बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए होमगार्ड, आकस्मिक चिकित्सा एवं अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- 2 दिवसीय ग्रीष्म शिविर संचालित करने हेतु कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के कर्मियों द्वारा

समस्त व्यवस्थायें (आवास, भोजन, स्टेशनरी, प्रचार–प्रसार सामग्री एवं अन्य) सुनिश्चित करना।

- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के कर्मियों द्वारा ग्रीष्म शिविर के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करना।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय और ब्लाक संसाधन केन्द्र के शैक्षिक कर्मियों द्वारा 02 दिवसीय ग्रीष्म शिविर के संचालन हेतु सत्र योजना का निर्माण

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में प्रस्तावित ग्रीष्म शिविर में प्रतिभागियों के लिए सुझावात्मक गतिविधियां एवं समय–सारिणी निम्नवत् प्रस्तावित है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें सुविधानुसार परिवर्तित एवं परिवर्द्धित भी कर सकते हैं:–

शिविर में प्रतिभागी बालिकाओं की दिनचर्या

06:00 – 07:00	:	उठना व नित्यकार्य
07:00 – 07:30	:	योग एवं व्यायाम
07:30 – 08:00	:	नहाना व तैयार होना
08:00 – 08:30	:	प्रातःकालीन अल्पाहार
08:30 – 09:00	:	प्रार्थना
09:00 – 12:00	:	प्रथम सत्र की गतिविधियां
12:00 – 13:00	:	मध्याह्न भोजन
13:00 – 16:30	:	द्वितीय सत्र की गतिविधियां
16:30 – 17:00	:	सायंकालीन अल्पाहार
17:00 – 18:30	:	मन का समय (ब्रेक)
18:30 – 20:00	:	मूवी शो / सांस्कृतिक कार्यक्रम व समालोचनात्मक चर्चा
20:00 – 21:00	:	रात्रि का भोजन
21:00 – 6:00	:	शयन

शिविर की दिवसवार गतिविधियाँ

प्रथम दिवस

- प्रतिभागी बालिकाओं का परिचय
- कविताएं या लोकगीत / कहानियां (पपेट के माध्यम से)
- मुक्त रूप से पेंटिंग कार्य
- बालिकाओं से चर्चा (परिवार के सदस्यों के बारे में)
- खेल, सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
- मूवी शो (मीना से सम्बन्धित)

द्वितीय दिवस

- कहानियां (पपेट के माध्यम से)
- अनुभव सुनाना (कोलाज बनाना)

- क्ले वर्क (मिट्टी से खिलौने बनाना)
- खेल (एक दूसरे से सीखना)
- बालिकाओं से चर्चा (महिलाओं से जुडे मुद्दों पर)
- काउंसलिंग एवं नामांकन
- मूवी शो (शिक्षा से सम्बन्धित)

उक्त शिविर की समाप्ति पर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में रिक्त संख्या के सापेक्ष बालिकाओं का चयन किया जायेगा। चयन में यह ध्यान रखा जाये कि बालिकाएं 11 से 14 वय वर्ग की हों तथा वे या तो कभी विद्यालय में नामांकित नहीं हुई हों या फिर बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट गयी हो। यदि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के आच्छादन विकास खण्ड/टाउन एरिया में रिक्त संख्या से अधिक 'स्कूल न जाने वाली बालिकाएँ' व ड्राप आउट बालिकाएं हों तो निम्नलिखित मार्गदर्शी बिन्दुओं के आधार पर चयन हेतु बालिकाओं की प्राथमिकता तय होगी –

- विशेष समुदाय की बालिकाएँ – सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछडी जाति/जनजाति, घुमन्तु
- कामकाजी बालिकाएँ
- अनाथ बालिकाएँ
- एकल अभिभावक बालिकाएँ
- अधिक उम्र की बालिकाएँ

यदि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में रिक्त संख्यानुसार चयन होने के पश्चात भी विकासखण्ड/टाउन एरिया में कभी भी विद्यालय न जाने वाली अथवा ड्राप आउट बालिकाएं शेष बच जाती हैं तो यह खण्ड शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वे ऐसी बालिकाओं के अभिभावकों को प्रेरित करके बालिकाओं को उनके निवास स्थल के निकटवर्ती परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आयु संगत कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित करायें तथा उनके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

रिक्त संख्यानुसार बालिकाओं के चयन हेतु आयोजित ग्रीष्म शिविर के लिए 100 की छात्र संख्या वाले कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के लिए रू0 15000/– तथा 50 की छात्र संख्या वाले कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के लिए रू0 10000/– स्वीकृत किये जा रहे हैं। उक्त धनराशि से शिविर के संचालन हेतु निम्नवत् सुझावात्मक विवरण प्रेषित है:–

कार्यक्रम	मद	लागत रू0 में (100 बालिकाओं के लिए)	लागत रू0 में (50 बालिकाओं के लिए)
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में रिक्त छात्र संख्या के सापेक्ष प्रवेश पूर्ण करने के लिए ग्रीष्म शिविर का आयोजन	भोजन	100X 70= 7000	50X 70= 3500
	स्टेशनरी	100 X 30=3000	50 X 30=1500
	आकस्मिक	3000	3000
	दवा	2000	2000

जनपद एवं प्रत्येक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में ग्रीष्म शिविर के आयोजन हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र के कर्मियों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के कर्मियों को उपर्युक्त निर्देश उपलब्ध कराने के लिए जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) उत्तरदायी होंगे। उनके द्वारा कार्यक्रम का दैनिक अनुश्रवण किया जायेगा तथा यथोचित निर्देश प्रसारित करने के लिए प्रतिदिन आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। ग्रीष्म शिविर आयोजन के दौरान जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) द्वारा

(5)

न्यूनतम 04 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का निरीक्षण किया जायेगा तथा विस्तृत निरीक्षण आख्या विद्यालय की निरीक्षण पंजिका में अंकित की जायेगी।

प्रत्येक खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रीष्म शिविर आयोजन के दौरान अपने नियंत्रणाधीन समस्त कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का एक बार निरीक्षण अवश्य किया जायेगा तथा विस्तृत निरीक्षण आख्या विद्यालय की निरीक्षण पंजिका में अंकित की जायेगी। उनके द्वारा ग्रीष्म शिविर के आयोजन, बालिकाओं के प्रतिभाग, बजट के उपयोग एवं नामांकन की सूचना जिला परियोजना कार्यालय को दिनाँक 02 जुलाई, 2013 तक उपलब्ध करायी जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रीष्म शिविर आयोजन के दौरान अपने जनपद के न्यूनतम 02 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का निरीक्षण किया जायेगा तथा विस्तृत निरीक्षण आख्या विद्यालय की निरीक्षण पंजिका में अंकित की जायेगी।

मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा ग्रीष्म शिविर के आयोजन विषयक प्रगति की दिनाँक 15 जून, 2013 एवं 30 जून, 2013 को समीक्षा की जायेगी तथा आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। उनके द्वारा ग्रीष्म शिविर आयोजन की अवधि में अपने मण्डल के 02 जनपदों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निरीक्षण भी सुनिश्चित किया जायेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण में यदि कनिष्ठ अधिकारी के निरीक्षण के बाद कमी पायी जायेगी तो कनिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक निरीक्षणकर्ता अधिकारी निरीक्षण के समय ही यथासम्भव समस्याओं का निराकरण करायेगा तथा यदि किसी बिन्दु पर कार्यवाही किया जाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो तो सम्बन्धित विभाग/उच्चाधिकारी को लिखित एवं मौखिक रूप से अनुरोध करेगा।

तदनुसार आप से अनुरोध है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में निर्धारित तिथियों में ग्रीष्म शिविर के आयोजन के माध्यम से अपवंचित समूहों की विद्यालय न जाने वाली 11–14 वयवर्ग की बालिकाओं को चिहिनत करते हुए आगामी सत्र में नामांकित करने के लिए उनके अभिभावकों को अभिप्रेरित करें तथा प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित संख्यानुसार नामांकन सुनिश्चित करायें।

भवदीया,
(हस्ताक्षर) 7.5.13
(डॉ0 मीना शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

पृ0सं0–के0जी0बी0वी0/ 3–2/ 547 /2013–14 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि:–
1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर) समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. निदेशक, महिला समाख्या, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4. जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा), (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर) समस्त जनपद, उ0प्र0।

(हस्ताक्षर)
(भगवती सिंह)
वरिष्ठ विशेषज्ञ

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

अपर परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।
(कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर)

पत्रांकः के0जी0बी0वी0/ 3–2/ 546 /2013–14 दिनांक 8 मई, 2013

विषयः <u>कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश तथा आगामी शैक्षिक सत्र 2013–14 के लिए पूर्व तैयारियों के संबंध में।</u>

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना संचालित है जिसमें अपवंचित समूह की 11 से 14 वय वर्ग की कभी भी नामांकित न हुई अथवा ड्रापआउट बालिकाओं के लिए आवासीय पठन–पाठन की व्यवस्था की जाती है।

आगामी शैक्षिक सत्र 2013–14 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के सुचारू संचालन के लिए निम्न पूर्व तैयारियों की आवश्यकता है :–

<u>ग्रीष्मावकाश</u>

1. **शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मी** : शैक्षिक सत्र 2012–13 हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए ग्रीष्मावकाश दिनॉक 01 जून, 2013 से 20 जून, 2013 तक अनुमन्य होगा।
2. **विद्यालय में अध्ययनरत बालिकायें** : विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 एवं 7 की बालिकाओं के लिए ग्रीष्मावकाश दिनॉक 01 जून, 2013 से 30 जून, 2013 तक अनुमन्य होगा।
3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में कार्यरत चौकीदार एवं चपरासी में से एक कर्मी ग्रीष्मावकाश की अवधि में विद्यालय में उपस्थित रहेगा।

<u>ग्रीष्म शिविर का आयोजन</u>

1. आगामी शैक्षिक सत्र 2013–14 में सभी कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में निर्धारित संख्या के अनुसार शत–प्रतिशत नामांकन कराने तथा अपवंचित समूहों की बालिकाओं की तार्किक भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए दिनॉक 24 जून से 27 जून, 2013 के मध्य 2 दिन का ग्रीष्म शिविर का आयोजन प्रत्येक कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय परिसर में किया जायेगा ।

2. 100 बालिकाओं की छात्र संख्या वाले कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में अधिकतम 100 बालिकाओं तथा 50 बालिकाओं की छात्र संख्या वाले कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में अधिकतम 50 बालिकाओं को ग्रीष्म शिविर में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
3. ग्रीष्म शिविर के दौरान विद्यालय में रिक्त कक्षावार छात्र संख्या के अनुसार अपवंचित समूह की बालिकाओं का चयन करके कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में नामांकन किया जाएगा।
4. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में रिक्त संख्यानुसार चयन होने के पश्चात विकासखण्ड/टाउन एरिया में शेष बच गयी कभी भी विद्यालय न जाने वाली अथवा ड्राप आउट बालिकाओं को संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा बालिकाओं के निवास स्थल के निकटवर्ती परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आयु संगत कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित कराया जायेगा तथा उनके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
5. इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विस्तृत निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

<u>आगामी शैक्षिक सत्र के लिए अन्य पूर्व तैयारियां</u>

1. **जनपद स्तर**

- आगामी शैक्षिक सत्र 2013–14 में कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा एवं रणनीति निर्माण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10 जून, 2013 तक जिला परियोजना समिति की बैठक सम्पन्न करायी जायेगी तथा दिनांक 13 जून, 2013 तक समस्त जिला समन्वयकों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र कर्मियों एवं प्रत्येक कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय के वार्डेन को आगामी सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालन हेतु पूर्व तैयारी करने विषयक निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।
- प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु निर्धारित छात्र संख्या अनुसार शत–प्रतिशत नामांकन तथा जनपद की जनसंख्या में अपवंचित समूहों के प्रतिशत के अनुसार बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जायेगा।
- जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य विभागों के कार्यालयाध्यक्षों से सम्पर्क स्थापित कर प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु सुरक्षा, स्वच्छ जल की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी। जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के लिए दैनिक आधार पर कार्यवाही एवं अनुश्रवण करेंगे।
- जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) हाउस होल्ड सर्वे तथा अन्य स्रोतों से जनपद स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर 11 से 14 वयवर्ग की अपवंचित समूहों की बालिकाओं की विकासखण्ड/नगरपालिकावार सूची तैयार करेंगे तथा उक्त सूची दिनॉक 10 जून, 2013 तक खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे।
- शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों की एक सम्मिलित बैठक दिनॉक 29 जून, 2013 तक आयोजित करेंगे तथा पूर्व तैयारियों की प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त बचे हुए कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए समुचित निर्णय लेंगे।
- प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के खातों को अद्यतन करके जिला परियोजना कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार उनका मिलान किया जायेगा। इसके लिए जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2. **खण्ड स्तर**

- खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समिति के निर्णय के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालनार्थ पूर्व तैयारी करने के लिए दिनांक 15 जून, 2013 तक ब्लाक संसाधन केन्द्र के सह–समन्वयकों एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों के साथ बैठक आयोजित करेंगे तथा बैठक में ग्रीष्म शिविर के आयोजन तथा अन्य पूर्व तैयारियों के लिये रणनीति का निर्माण करेंगे।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, ब्लाक संसाधन केन्द्र के सह–समन्वयकों एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों को जनपद स्तर से प्राप्त 11 से 14 वयवर्ग की अपवंचित समूहों की बालिकाओं की न्याय पंचायतवार सूची उपलब्ध करायेंगे तथा इन बालिकाओं को ग्रीष्म शिविर में लाने के लिए प्रचार–प्रसार एवं अभिभावकों को अभिप्रेरित करने के लिए निर्देश उपलब्ध करायेंगे।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी विभिन्न ब्लाक/तहसील स्तरीय कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित कर प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु सुरक्षा, स्वच्छ जल की आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. **कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय स्तर**

- खण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 21 जून 2013 को आगामी शैक्षिक सत्र 2013–14 में कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा एवं रणनीति निर्माण किया जायेगा। बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मी सम्मिलित होंगे।
- वार्डेन एवं अन्य शैक्षिक कर्मियों द्वारा दिनॉक 21 जून, 2013 को विकासखण्ड में निवास करने वाली 11–14 वयवर्ग की अपवंचित समूहों की कभी विद्यालय नहीं गयी अथवा ड्राप–आउट बालिकाओं की सूची अद्यतन (update) की जायेगी।
- वार्डेन .एवं अन्य शैक्षिक कर्मी दिनॉक 22 से 24 जून, 2013 के मध्य ब्लाक संसाधन केन्द्र सह–समन्वयकों और न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों के सहयोग से चिह्निनत बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करेंगे तथा बालिकाओं को ग्रीष्म शिविर में प्रतिभाग करने के लिए सहमति प्राप्त करेंगे।
- रिक्त छात्र संख्या के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन के लिए आयोजित किये जाने वाले आवासीय ग्रीष्म शिविर का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे तथा योजना की जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध करायेंगे।
- कक्षा 6 और 7 की अध्ययनरत बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर यह सुनिश्चत करेंगे कि उक्त समस्त बालिकायें 01 जुलाई , 2013 को विद्यालय में उपस्थित हो जायें।
- वार्डेन का दायित्व होगा कि ग्रीष्म शिविर के आरम्भ से पूर्व विद्यालय परिसर की सफाई हो जाये तथा आगामी सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व दिनॉक 30 जून, 2013 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी कक्षों, बिस्तरों, चादरों, शौचालयों की साफ–सफाई हो जाये। यदि लघुमरम्मत की आवश्यकता हो तो उसे भी दिनॉक 01 जूलाई, 2013 से पूर्व सुनिश्चित कराया जाये।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षक /शिक्षिकायें अकादमिक गतिविधियों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु पाठ योजना, ब्रिज कोर्स योजना आदि की तैयारी दिनॉक 28 जून, 2013 तक पूर्ण करेंगे तथा वार्डेन को तैयार की गयी कार्ययोजना की प्रति उपलब्ध करायेंगे।

IV

- विद्यालय के परिसर , कक्षा–कक्ष, शयन कक्ष व पुस्तकालय को इस तरह सुसज्जित किया जाये जो बालिकाओं को आकर्षक, व रूचिकर लगे तथा यह अहसास दिलाता हो कि विद्यालय में उनका स्वागत किया गया है।
- समस्त ,शिक्षक/शिक्षिकायें विचार–विमर्श कर शिक्षणेत्तर गतिविधियों की योजना भी तैयार करेंगे। इसमें बालिकाओं द्वारा खेले जाने वाले खेल, उनको दिखायी जाने वाली शैक्षिक बाल फिल्में एकत्र करना, नाटक गीत सिखाना, बाल अखबार का प्रकाशन आदि शामिल होंगी।
- प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के खातों को अद्यतन करके जिला परियोजना कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार उनका मिलान किया जायेगा। इसके लिए वार्डेन तथा लेखाकार उत्तरदायी होंगे।

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों, ब्लाक संसाधन केन्द्रों, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कर्मियों को ससमय उपर्युक्त निर्देश उपलब्ध कराने का दायित्व जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) का होगा।

कृपया दिनॉक 01 जुलाई, 2013 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सुचारू संचालनार्थ उक्तानुसार पूर्व तैयारियॅा सुनिश्चित करायें।

भवदीया,
7.5.13
(डॉ0 मीना शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

पृ0सं0–के0जी0बी0वी0/ 3–2/ 546 /2013–14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर) समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. निदेशक, महिला समाख्या, गोमती नगर, लखनऊ
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय, (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर) समस्त जनपद, उ0प्र0।
5. जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा), (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर) समस्त जनपद, उ0प्र0।

(भगवती सिंह)
वरिष्ठ विशेषज्ञ